FORM NO 111

(नियम 133)

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

अनवान :– प्रवीण कुमार बनाम शिवकुमार आदि

धारा :– 88 आर.टी.ए. मुकदमा नं0:– ......08....... / 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ।
.2018	अभिभाषक वादीगण द्वारा वाद–पत्र पेश किया गया। वाद कार्यालय टिप्पणी के प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन द्वारा तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 5.2.2018 वास्ते तलबी प्रतिवादिगण पेश हो। (signature)	
10/1/18	आज यह पत्रावली वकील वादी एवं वादी के प्रार्थना-पत्र पर पेशी में ली गई। वादीगण एवं प्रतिवादी स्वयं उपस्थित। प्रतिवादी की ओर से श्री अमरीक सिंह एड. ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल फाईल किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो बाद तसदीक शामिल फाईल किया गया। पत्रावली वास्ते बहस निश्चित दिनांक 5/2/18 को पेश हो। (signature)	(signature) Identified by me to be (signature) Shivkumar (signature)
15/1/18	आज यह पत्रावली वकील वादी के प्रार्थना-पत्र पर पेशी में ली गई। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 23/1/18 को पेश हो। (signature)	
23/1/18	वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद	

Scanned by CamScanner

पक्षकारान अन्तिम डिक्री किया जाता है।
विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया
जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली
नम्बर से काम की जाकर बाद तरतीब
तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश
बसरे इजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

2

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

बईजलास :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 08/2018

1 प्रवीणकुमार पुत्र गुरदयाल मल जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 निर्मलादेवी पत्नि सुरेश कुमार जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

---वादीगण

बनाम

शिवकुमार पुत्र सत्यानारायण जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

---प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

उपस्थित :–

1. इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता वादीगण
2. श्री अमरीक सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांक :– 23/1/18

वादीगण द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए के तहत इन अभिकथनों के साथ पेश किया है कि चक 48 एनजीसी खाता सं. 46/133 मे 5.097 है0 मय गैर मुमकिन भूमि संयुक्त खाता मे दर्ज है। उक्त 5.097 है0 भूमि मे वादी सं. 1 के नाम 0.942 है0 भूमि व वादिया सं. 2 के नाम 0.474 है0 भूमि व प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1.392 है0 भूमि दर्ज है। इसी प्रकार चक 6 एसएनएम खाता सं. 39/35 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1.265 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादी एक हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा उक्त वर्णित भूमि का वादीगण व प्रतिवादी ने आपस मे घरूबंटवारा कर लिया है। मुताबिक घरूबंटवारा चक 48 एनजीसी खाता सं. 46/133 मे वादीगण व प्रतिवादी के नाम दर्ज 2.807 है0 भूमि मे से वादी सं. 1 प्रवीणकुमार को 1.637 है0, वादिया सं. 2 को 1.170 है0 तथा प्रतिवादी सं. 1 को वाके चक 6 एसएनएम के खाता सं. 39/35 स्वयं के नाम दर्ज 1.265 है0 हिस्सा प्राप्त हुआ है तथा घरूबंटवारा के रोज से उक्तानुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है और आज मौका पर काश्त घरूबंटवारा अनुसार है परन्तु रिकार्ड मे अभी तक हिस्साकसी बंटवारा से पूर्व की दर्ज चली आ रही है। अतः वादपत्र वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 48 एनजीसी के खाता सं. 46/133 मे वादी सं. 1 प्रवीणकुमार को 1.637 है0 मय गैरमुमकिन, वादिया सं. 2 निर्मलादेवी को 1.170 है0 मय गैर मुमकिन का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी सं. 1 शिवकुमार का चक 48 एनजीसी खाता सं. 46/133 मे से नाम कलमजन किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर अमरीकसिंह विद्वान अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। उभय पक्ष द्वारा दिनांक 10.01.2018 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

3

उभय पक्ष द्वारा अपने राजीनामा मे कथन किया गया कि प्रकरण मे पंचायत के मौजिज यक्तियों द्वारा आपस मे राजीनामा करवा दिया है कि प्रकरण मे वर्णित भूमि का वादीगण व प्रतिवादी ने ापस मे घरूबंटवारा किया हुआ है। चक 48 एनजीसी के खाता सं. 46/133 मे वादी सं. 1 वीणकुमार को 1.637 है0 मय गैरमुमकिन, वादिया सं. 2 निर्मलादेवी को 1.170 है0 मय गैर मुमकिन का ातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी सं. 1 शिवकुमार का चक 48 एनजीसी खाता सं. 6/133 मे से नाम कलमजन किया जावें तो वादीगण व प्रतिवादी को कोई आपत्ति एतराज नही है। ातः मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किया जावें।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा ाजीनामा मे वर्णित मे तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने का नेवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। वाद मे उभय पक्षो का आपस मे ाजीनामा हो चुका है तथा मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किये जाने मे उभय पक्ष सहमत है। ऐसी स्थित मे दावा किसी प्रकार का कोई विवाद नही होने के कारण तथा उभय पक्ष राजीनामा के अनुसार ावा डिक्री किये जाने मे सहमत होने के कारण मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित ै।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि चक 48 नजीसी के खाता सं. 46/133 मे वादी सं. 1 प्रवीणकुमार 1.637 है0 मय गैरमुमकिन भूमि, वादिया सं. निर्मलादेवी 1.170 है0 मय गैर मुमकिन भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा चक 8 एनजीसी खाता सं. 46/133 मे से प्रतिवादी सं. 1 शिवकुमार का नाम कलमजन किये जाने के ादेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर ाखिल दफ्तर हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23/1/18 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री ५

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

बईजलास :— सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 08/2018

1. प्रवीणकुमार पुत्र गुरदयाल मल जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. निर्मलादेवी पत्नि सुरेश कुमार जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

---वादीगण

बनाम

शिवकुमार पुत्र सत्यानारायण जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

---प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए —निर्णय दिनांक 23/1/18

डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता ादीगण एवं श्री अमरीक सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद ादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि चक 48 एनजीसी के खाता ं. 46/133 मे वादी सं. 1 प्रवीणकुमार 1.637 है0 मय गैरमुमकिन भूमि, वादिया सं. 2 निर्मलादेवी 1. 70 है0 मय गैर मुमकिन भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा चक 48 एनजीसी ाता सं. 46/133 मे से प्रतिवादी सं. 1 शिवकुमार का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते । उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर ो।

बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 23/1/18 को जारी किया गया।

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner